



क्रमांक:अनु0जा0/अनु0जनजाति/21-22/92

13 अक्टूबर, 2021

// सूचना //

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सागर के पत्र क्रमांक/आ.वि./पीएमएस/2021/1276 दिनांक 08.10.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के ST/SC के आवेदन MPTAAS Portal में भरने के लिए पोर्टल दिनांक 11.10.2021 तक खोला जाना संभावित है। अतः वर्ष 2021-22 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थी MPTAAS Portal में आवेदन भरने के पूर्व कृपया सुनिश्चित करें कि :-

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 से अनुसूचित जाति के प्रथम वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन फार्म भी एमपीटास पोर्टल से ही भरे जाना हैं ।
2. समस्त छात्र एमपीटास पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन कराना सुनिश्चित करें ।
3. छात्र/छात्राओं के बैंक खाते आधार आधारित या आधार से लिंक हों (**NPCI Active**)
4. बैंक खाते कियोस्क के न हो किसी न किसी बैंक ब्रांच में ही हों ताकि खाते में जमा/निकासी की सीमा की समस्या न हों ।
5. खाते की लिमिट लगभग 100000 या इससे अधिक हो ।
6. जाति प्रमाण पत्र डिजीटल होना आवश्यक है ।
7. आय प्रमाण पत्र स्वयं का मान्य नहीं होगा । आय प्रमाण पत्र पिता का होना चाहिए यदि पिता नहीं हैं तो मां का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

अतः सत्र 2021-22 में प्रवेशित प्रथम वर्ष के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी MPTAAS Portal पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करें एवं द्वितीय/तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र MP Scholarship Portal 2.0 पर ऑनलाईन आवेदन करें । अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त विद्यार्थी (नवीन/नवीनीकरण) MPTAAS Portal पर ही ऑनलाईन आवेदन करें

अधिष्ठाता
छात्र गतिविधियाँ

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष-निवेदन है कि आपके संकाय/विभाग में अध्ययनरत संबंधित विद्यार्थियों को सूचित करने की कृपा करें ।
2. समस्त संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पटल द्वारा संबंधित वर्ग के विद्यार्थियों के सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट सेल, डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कार्यालय कलेक्टर जिला-सागर (M0प्र0)-सूचनार्थ प्रेषित ।
5. कुलसचिवजी के निज सहायक - सूचनार्थ ।

अनु0जाति/अनु0जनजाति प्रकोष्ठ